



राष्ट्रीय हरति वित्तपोषण संस्थान

प्रलम्ब के लिये:

[NaBFID](#), [NABARD](#), [IREDA](#), [InvITs](#), पंचामृत रणनीति, [ग्रीन बॉण्ड](#), [स्वच्छ पर्यावरण उपकर](#), [प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण \(PSL\)](#), [ग्रीन मसाला बॉण्ड](#), [COP29 UNFCCC](#), [क्रेडिट रेटिंग](#)।

मेन्स के लिये:

भारत में एक समर्पित हरति वित्तपोषण संस्थान की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन शमन में वित्त की भूमिका।

[स्रोत: द हिंदू](#)

चर्चा में क्यों?

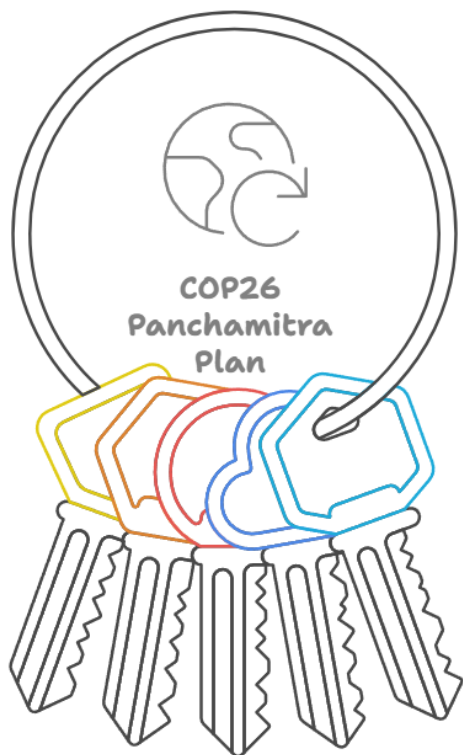
सरकार विभिन्न स्रोतों से **हरति वित्त** को एकत्रित करने एवं **वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य** को प्राप्त करने के क्रम में पूंजी लागत को कम करने हेतु एक राष्ट्रीय हरति वित्तपोषण संस्थान स्थापित करने की दशा में कार्य कर रही है।

- नीतिआयोग द्वारा राष्ट्रीय हरति वित्तपोषण संस्थान हेतु **NaBFID /NABARD, IREDA, ग्रीन InvITs और वैश्विक ग्रीन बैंक जैसे मॉडलों** का मूल्यांकन किया जा रहा है।

भारत में हरति वित्त की क्या आवश्यकता है?

- जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिम में वृद्धि: जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक कुल आर्थिक मूल्य में अनुमानित: **10% की हानि** हो सकती है तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में **18%** तक की कमी आ सकती है।
 - यह आर्थिक जोखिम विशेष रूप से भारत (जसिका लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को **10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** तक बढ़ाना है) के लिये चिंताजनक है।
- भारत की शुद्ध-शून्य उत्सर्जन संबंधी महत्वाकांक्षाएँ: **COP26 UNFCCC** में भारत ने **पंचामृत रणनीति** के तहत वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिज्ञा व्यक्त की, जिसके लिये **10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक** निवेश की आवश्यकता है।

Achieving Climate Goals



Non-Fossil Energy Capacity

Achieving 500 GW of non-fossil energy capacity by 2030.



Renewable Energy Source

Sourcing 50% of energy requirements from renewable sources by 2030.



Carbon Emission Reduction

Reducing projected carbon emissions by 1 billion tonnes by 2030.



Economic Carbon Intensity

Lowering carbon intensity of the economy by 45% by 2030.



Net-Zero Goal

Reaching net-zero emissions by 2070.

- वित्तीय संस्थानों के लिये खतरा: बैंक ऊर्जा-कुशल भवनों, नवीकरणीय ऊर्जा, हरति बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक डीकारबोनाइजेशन का समर्थन करके जलवायु परिवर्तन के संभावित वित्तीय प्रभाव को कम कर सकते हैं। वित्तीय सेवा क्षेत्र इस क्षेत्र के 72% के लिये ज़िम्मेदार है।
- नविश घाटा: भारत को वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य तक पहुँचने के लिये कुल नविश में 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या सालाना 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
 - फरवरी, 2023 तक भारत का ग्रीन बॉण्ड जारी करने का कुल मूल्य केवल 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें नजी क्षेत्र का योगदान 84% था।

भारत में वर्तमान हरति ऊर्जा वित्तपोषण पहल क्या हैं?

- NCEEF: राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष (NCEEF) कोयले पर [स्वच्छ पर्यावरण उपकरण](#) के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों और अनुसंधान को वित्तपोषित करता है।
 - IREDA, NCEEF के वित्त के एक हिस्से का उपयोग करके, 2% की दर पर बैंकों को ऋण देकर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये रियायती ऋण को संभव बनाता है।
 - वैश्विक संस्थाएँ भी IREDA को वित्तपोषण प्रदान करती हैं; उदाहरण के लिये विश्व बैंक ने सौर पार्कों के लिये 100 मिलियन डॉलर का दान दिया है।
- PSL की मान्यता: पीएसएल मान्यता: अप्रैल 2015 में RBI ने नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के रूप में नामित किया, तथा यह अनिवार्य किया कि बैंक इस उद्देश्य के लिये शुद्ध ऋण का 40% तक अलग रखें।
 - सौर, बायोमास, पवन, सूक्ष्म जलविद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा उपयोगिताओं के लिये प्रतियुद्धाकरत्ता 15 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध है।
- ग्रीन बैंक: ग्रीन बैंक पर्यावरणीय दृष्टि से सतत परियोजनाओं को वित्तपोषित करके स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण में तेज़ी लाते हैं।
 - भारत में, IREDA, SBI और अन्य बैंक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये रियायती ऋण प्रदान करते हैं।
- ग्रीन बॉण्ड: ये पर्यावरण के लिये लाभकारी परियोजनाओं के लिये पूंजी जुटाने हेतु बाज़ार आधारित वित्तीय साधन हैं। उदाहरण के लिये, IREDA

द्वारा जारी **गरीन मसाला बॉण्ड**।

- **क्राउडफंडिंग**: यह एक वक्रीकृत वित्तपोषण मॉडल है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के लिये छोटे नज़ी नवियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिये, क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म बेटरवेस्ट का ग्रामीण भारत में मेरागाओ (MeraGao) पावर और बूंद (Boond) इंजीनियरिंग के लिये समर्थन।

जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

UNFCCC द्वारा समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF): वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- क्योटो प्रोटोकॉल (2001):
 - अनुकूलन कोष (AF): विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
 - स्वच्छ विकास तंत्र (CDM): विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- हरित जलवायु कोष (GCF): वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
 - इसके अंतर्गत कोष- अल्प विकसित देश कोष (LDCF) और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)
- दीर्घकालिक जलवायु वित्त:
 - कानकून समझौता (वर्ष 2010): लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
 - पेरिस समझौता (वर्ष 2015): विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- लॉस एंड डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28): जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमजोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

विश्व बैंक के अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
■ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)	■ कमजोर भारतीय राज्यों के लिये
■ राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)	■ स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)
■ राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)	■ आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को खत्म करना
■ अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)	■ UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्य
■ जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	■ वैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है

जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।



Drishti IAS

भारत में हरति ऊर्जा वित्तपोषण में क्या चुनौतियाँ हैं?

- सीमिति अंतर्राष्ट्रीय वित्त: **COP29 UNFCCC** में, विकसित देशों ने जलवायु शमन हेतु वर्ष 2035 तक प्रतर्विष कम से कम 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का संकल्प लिया, जो कि आवश्यक वित्तपोषण की तुलना में अपर्याप्त है।
 - कई वशिषज्जों का मानना है कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिये वर्ष 2030 तक प्रतर्विष 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि जुटाना आवश्यक है।
- उच्च उधार लागत: उच्च ब्याज दरें, लंबी अवधितिथा उधारदाताओं के लिये वित्तीय प्रोत्साहनों की कमी, हरति वित्त को महंगा बना देती है, जिससे परियोजनाएँ प्रायः वित्तीय रूप से अव्यवहारक हो जाती हैं।
- नधियों का वचिलन: NCEEF की स्थापना स्वच्छ ऊर्जा पहलों के लिये की गई थी, लेकिन इसकी अधिकांश नधियों को GST क्षतपूरत और नमामिगिंजे जैसी गैर-नवीकरणीय परियोजनाओं में स्थानांतरति कर दिया गया है।
- गरीन बैंकों के लिये संस्थागत बाधाएँ: RBI के स्पष्ट दशानरिदेशों और कानूनी मान्यता की कमी के कारण भारत में अभी तक गरीन बैंकों को संस्थागत रूप नहीं दिया जा सका है, जिससे उनकी वशिषसनीयता और नधिसंग्रहण पर असर पड़ रहा है।
- अवकिसति गरीन बॉण्ड मार्केट: गरीन बॉण्ड को उच्च क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता होती है, जो कई नवीकरणीय परियोजनाओं में खराब वित्तीय स्वास्थ्य के कारण नहीं होती है। निवशकों में फंड के उपयोग को लेकर अवशिवास बना रहता है।

आगे की राह

- **जलवायु वित्त को बढ़ावा देना:** रणनीति वित्तपोषण जुटाने के लिये वैश्विक ग्रीन बॉण्ड मार्केट और बहुपक्षीय संस्थाओं (वर्ल्ड बैंक, AIIB) जैसे प्लेटफार्मों का लाभ उठाना।
 - नवीकरणीय को आकर्षित करने के लिये **कर-मुक्त ग्रीन बॉण्ड योजना** शुरू करते हुए हरित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये **संपूर्ण गारंटी और ब्याज दर सब्सिडी** प्रदान करना।
- **हरित बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र:** स्पष्ट वनियमन और वृद्धि ढाँचे के साथ RBI के तहत **हरित बैंकों** को संस्थागत बनाने और साथ साथ ही वैश्विक हरित पूंजी को आकर्षित करने के लिये **सार्वजनिक-नजी सह-वित्तपोषण** को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र:** नजी भागीदारी को बढ़ावा देने और हरित वित्तपोषण साधनों से जुड़े कार्बन क्रेडिट बाजार विकसित करने के लिये **हरित अवसंरचना नवीन ढाँचे (ग्रीन इनवेटिस)** का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- **सूक्ष्म वित्त पोषण:** महिलाओं के नेतृत्व वाले **हरित व्यवसायों** को समर्थन प्रदान करना तथा न केवल शमन पर ध्यान केंद्रित करने अपितु **अनुकूलन में सहायता** प्रदान करने के लिये लघु किसानों के लिये **संवहनीय जलवायु जोखिम बीमा** प्रदान करने की आवश्यकता है।

दृष्टिभेद प्रश्न:

प्रश्न. वर्ष 2070 तक भारत के नेट-ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में हरित वित्त की भूमिका की विवेचना कीजिये। इसके समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और इनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वरित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. 'हरित जलवायु नवि (ग्रीन क्लाइमेट फण्ड) के बारे में नमिनलखिति में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2015)

1. यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है।
2. इसे UNEP, OECD, एशिया विकास बैंक और वर्ल्ड बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

प्रश्न:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

प्रश्न. नवंबर, 2021 में ग्लासगो में वर्ल्ड के नेताओं के शखिर सम्मेलन सी.ओ.पी. 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिये। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह वचिर पहली बार कब दिया गया था? (2021)